HRA Enterna USIUSI The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 818]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 22, 2009/ज्येष्ठ 1, 1931

No. 818]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 22, 2009/JYAISTHA 1, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 मई, 2009

का.आ. 1323(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 31 मई, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 55 से धारा 58, दूसरी अनुसूची, तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची के उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा. सं. 1/1/2009-सीएल.V]

रेणुका कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd May, 2009

S.O. 1323 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby appoints the 31st day of May, 2009 as the date on which the provisions of sections 55 to 58, Second Schedule, Third Schedule and Fourth Schedule of the said Act shall come into force.

[F. No. 1/1/2009-CL.V]

RENUKA KUMAR, Jt. Secy.